औद्योगिक प्रदूषण नियमों में ढील

सोमेश झा
नई दिल्ली, 13 जनवरी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल उनके प्रदर्शन के स्व नियमन और स्व प्रमाणन का अधिकार देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य सरकारों को पर्यावरण कानूनों के तहत लाइसेंस देने के अधिकार समाप्त करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कारोबार करने के उपाय सरल बनाने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की योजना के तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं। इस संबंध में 23 दिसंबर को सभी राज्यों को दिए परामर्श में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि बिजली आपूर्ति पाने के लिए कन्सेंट टू एस्टेब्लिश (सीटीई) पाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

23 दिसंबर को जारी दिशानिर्देश में कहा गया है, 'प्रावधान के कारण संबंधित राज्य में परियोजनाएं लगाने और संपूर्ण औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। चूंकि, कुछ राज्यों में बिजली आपूर्ति करने से पहले सीटीई हासिल करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य कारोबार का रास्ता सरल बनाने के लिए यह प्रावधान समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं।'

इसी तरह, 31 दिसंबर को जारी एक अन्य आदेश में मंत्रालय ने एक समिति को नियम तैयार करने का निर्देश दिया है जिनके तहत उद्योगों को पर्यावरण के अनुकुल प्रदर्शन का स्वयं नियमन करने की अनुमति होगी। दूसरे शब्दों में उद्योग राज्य पर्यावरण कार्यालयों या अधिकारियों के जांच के दायरे में नहीं आएंगे।

फिलहाल उद्योग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से सीटीआई हासिल करना अनिवार्य है। यह प्रावधन कारोबार विस्तार और तकनीकी बदलावों के लिए कुछ सीमा तक आवश्यक है।

राह होगी आसान

- उद्योगों द्वारा स्व-नियमन व स्व-प्रमाणन से संबंधी नियमों पर काम शुरू
- राज्य सरकार द्वारा के पर्यावरण लाइसेंस देने के अधिकार होंगे खत्म

नियमों के अनुसार अगर कोई कंपनी जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत सीटीई नहीं हासिल करती है या सीटीई की अवधि पूरी हो चुकी है तो उस स्थिति में राज्य सरकार बिजली आपूर्ति काट सकती है। एक जाने-माने पर्यावरण अधिकवक्ता ऋत्विक दत्ता कहते हैं, 'यह सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि सीपीसीबी प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही कारोबार सरल बनाने के उपायों के प्रति भी चिंतित है। अगर किसी उद्योग के पास सीटीई नहीं है तो इसे बिजली की आपूर्ति क्यों होनी चाहिए।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि इस समय यह सुनिश्चित करने के लिए सीटीई का इस्तेमाल होता है कि उद्योग के लिए चयनित जगह अनुकूल है। अधिकारी ने कहा, 'मान लें कि कोई राज्य किसी विद्यालय के पीछे प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं देगा इसलिए वह सीटीई जारी नहीं करेगा। बिजली आपूर्ति के प्रावधान से सीटीई अलग करने से प्रमाणपत्र उपयोगी नहीं रह जाता है।'

एक अन्य घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने प्रदूषित क्षेत्रों में फैक्टरियां लगाने और इनके विस्तार की अनुमति दे दी है। दअरसल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कार्यशील समूह की पुनर्संरचना की है जिसका गठन प्रदूषण सूचकांकों में संशोधन के अलावा कुछ अन्य विषयों के लिए किया गया था।

कई उद्योग समूहों जैसे गाजियाबाद और सिंगरौली में अतिरिक्त फैक्टरियां लगाने या उत्पादन बढ़ाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन क्षेत्रों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने के कारण यह पाबंदी लगाई गई थी। सीपीसीबी और एसपीसीबी सदस्यों की मई 2014 में हुई बैठक में सीईपीआई इंडेक्स में जून 2014 तक संशोधन के लिए एक कार्यशील समूह का गठन किया गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा में इंडेक्स में संशोधन नहीं कर पाने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन औद्योगिक समूहों के कार्यों पर लगी पाबंदी हटा ली गई थी।

Business Standard
14/1/15